रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2014/श्रावण 1, 1936
No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2014/SHRAVANA 1, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सं. 30/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 525 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित टैरिफ मद 7326 9099, 7326 1910, 7326 1990, 8708 5000, 8708 9900 "भारी तथा मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियत फ्रंट एक्सल बीम एवं स्टीयरिंग नकल" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) आयात के मामले में अधिसूचना सं0 15/11/2014-डीजीएडी, तारीख 13 जून, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 13 जून, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सं. 50/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 315 (अ) तारीख 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 315 (अ) तारीख 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्—

"पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद यह अधिसूचना 14 जून, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी यदि पहले विखंडित न किया जाये ।"

[फा. सं. 354/118/2009-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 50/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2010 को सा.का.नि. 315 (अ), 12 फरवरी, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

No. 30/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 525 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification number 15/11/2014-DGAD, dated the 13th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th June, 2014, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Front Axle Beam and Steering Knuckle meant for heavy and medium commercial vehicles" falling under the tariff items 7326 9099, 7326 1910, 7326 1990, 8708 5000, 8708 9900 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2010-Customs, dated the 12th April 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 315 (E), dated the 12th April, 2010, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2010-Customs, dated the 12th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 315(E), dated the 12th April, 2010, namely:—

In the said notification, after Paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in Paragraph 2 above, this notification shall remain in force up to and inclusive of 14th June, 2015 unless revoked earlier.".

[F. No. 354/118/2009-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.-The principal notification number 50/2010-Customs, dated the 12th April, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 315 (E), dated the 12th April, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सं. 31/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 526 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, रूस और थाईलैंड में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित अध्याय 28 के अंतर्गत "रबड़ अनुप्रयोजनों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक" जो कि आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/08/2014-डीजीएडी, तारीख 15 जुलाई, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 15 जुलाई, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2013-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 26 अप्रैल, 2013, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 275 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2013-सीमा-शुल्क (एडीडी) , तारीख 26 अप्रैल, 2013 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 275 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

"पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद, उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 4 से 12 दर्शाये प्रतिपाटन शुल्क 29 जुलाई, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है और यदि इसके पहले विखंडित न किया जाये, तक उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा । "

[फा.सं. 354/130/2009-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 9/2013-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 26 अप्रैल, 2013, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 275 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

No. 31/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 526 (E).—Whereas, the designated authority vide notification number 15/8/2014-DGAD, dated the 15th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th July, 2014 has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Carbon Black used in rubber applications", falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, Russia and Thailand, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2013-Customs (ADD), dated 26th April, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 275 (E), dated the 26th April, 2013, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue),

No. 9/2013-Customs (ADD), dated 26th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 275 (E), dated 26th April, 2013, namely:—

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty specified against serial numbers 4 to 12 in the TABLE above shall be levied up to and inclusive of the 29th day of July, 2015, unless revoked earlier and shall be payable in Indian currency.".

[F. No. 354/130/2009-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 9/2013-Cutsoms (ADD), dated 26th April, 2013, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 275 (E), dated the 26th April, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सं. 32/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 527(अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, कोरिया जनवादी गणराज्य में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित अध्याय 28 के अंतर्गत "फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)" (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/07/2014-डीजीएडी, तारीख 20 जून, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 20 जून, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 140/2009-सीमा शुल्क, तारीख 15 दिसम्बर, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 897 (अ) तारीख 15 दिसम्बर, 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 140/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 15 दिसम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 897 (अ) तारीख 15 दिसम्बर, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद यह अधिसूचना 21 जून, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और यदि इसके पहले विखंडित न किया जाये, तक उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा ।"

[फा. सं. 354/108/2009-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 140/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 15 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि. 897(अ), 15 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

No. 32 /2014-Customs (ADD)

G.S.R. 527(E).—Whereas, the designated authority vide notification number 15/7/2014-DGAD dated the 20th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th June, 2014 has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture or Fertilizer grade)", falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea (RP), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.140/2009-Customs, dated 15th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 897(E), dated the 15th December, 2009, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.140/2009-Customs, dated 15th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 897(E), dated the 15th December, 2009, namely: —

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following shall be inserted, namely: —

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 21st day of June, 2015, unless revoked earlier and shall be payable in Indian currency.".

[F. No. 354/108/2009 –TRU (Pt- I)]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No.140/2009-Customs, dated 15th December, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 897(E), dated the 15th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सं. 33/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 528(अ).—जबकि पदनामित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले 'विटामिन सी' पर, दिनांक 16 जून, 2009 की सा.का.नि. संख्या 425 (अ) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 67/ 2009- सीमा-शुल्क के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 11 जून, 2014 को प्रकाशित दिनांक 11 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/10/2014-डीजीएडी के अन्तर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपर्युक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपर्युक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपर्युक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 425 (अ) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 67/2009-सीमा-शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'' 3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 15 जून, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए।

[फा. सं. 354/96/2003-टी.आर.यू.- (भाग-II)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी:-दिनांक 16 जून, 2009 की प्रधान अधिसूचना संख्या 67/2009- सीमा-शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 16 जून, 2009 की सा.का.नि. सं. 425 (अ) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

No. 33/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 528 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/10/2014-DGAD dated 11th June, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th June, 2014, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Vitamin C", falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 67/2009-Customs, dated the 16th June, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 425 (E), dated the 16th June, 2009 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 67/2009-Customs, dated the 16th June, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 425 (E), dated 16th June, 2009, namely:—

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 15th day of June, 2015, unless revoked earlier.".

[F. No. 354/96/2003 –TRU (Pt- I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 67/2009-Customs, dated the 16th June, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425(E), dated the 16th June, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सं. 34/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 529 (अ).—जबकि पदनामित प्राधिकारी ने, यूरोपियन संघ, चीन जनवादी, गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान में मूलत: उद्गमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अन्तर्गत आने वाले 'पोटाशियम कार्बोनेट' पर, दिनांक 10 जून, 2009 की सा.का.नि. संख्या 399 (अ) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 61/2009-सीमा-शुल्क के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की

पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क) का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 09 जून, 2014 को प्रकाशित दिनांक 09 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/12/2014-डीजीएडी के अन्तर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपर्युक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है ।

अब उपर्युक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपर्युक्त नियमों के निय 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सा.का.नि. 399 (अ) के अंतर्गत दिनांक 10 जून, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 61/2009-सीमा-शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 09 जून, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए ।''

[फा. सं. 354/43/2003-टी.आर.यू.-(भाग-II)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी :-दिनांक 10 जून, 2009 की प्रधान अधिसूचना संख्या 61/2009-सीमा-शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (1) में दिनांक 10 जून, 2009 की सा.का.नि. सं. 399(अ) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

No. 34/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 529 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/12/2014-DGAD dated 9th June, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th June, 2014, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Potassium Carbonate", falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the European Union, the People's Republic of China, Korea RP and Taiwan imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 61/2009-Customs, dated the 10th June, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 399 (E), dated the 10th June, 2009 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 61/2009-Customs, dated the 10th June, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 399 (E), dated 10th June, 2009, namely: —

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: —

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 9th day of June, 2015, unless revoked earlier.".

[F. No. 354/43/2003-TRU (Pt-II)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 61/2009-Customs, dated the 10th June, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 399 (E), dated the 10th June, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.